प्रेस नोट **08/04/2024**

जालसाजी मामले में फरार वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 08.04.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर उसके घर के पास में मु0अ0सं0 124/23 धारा 406,504,506,467,468,471,120बी भादवि में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश राजभर पुत्र मंगरु राजभर निवासी जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने एवं शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस **अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री की पर्वेक्षण में आज दिनांक 08.04.2024 को थाना कोतवाली नगर व दक्षिणटोला में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, थाना घोसी में एसडीएम व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र तथा थाना दोहरीघाट में प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट की अध्यक्षता में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया** जिसमें उपस्थित संभ्रान्त व्यक्तियों, विभिन्न धर्मो के गुरुओं/मौलवियों को शासन से प्राप्त आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया तथा आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर वार्तालाप किया गया तथा समस्याओं को सुना गया एवं आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्वक, आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की गयी।

साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि महत्वपूर्ण स्थलों आदि की निगरानी ड्रोन कैमरे आदि के माध्यम से की जाएगी। जनपद के लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों, चौराहों स्थलों पर पीटीजेड व आइपी कैमरे लगवाये गये है। जिसकी निगरानी सम्बन्धित थानों पर कम्प्यूटर भिज्ञ आरक्षी द्वारा की जा रही है। साइबर थाना/सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी की जा रही है कोई भ्रामक खबर, आपत्तिजनक कमेन्ट करने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे किसी भी कमेन्ट आदि को फारवर्ड न करे तथा पुलिस को सूचित करें। अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।